समाहरणालय, सिमडेगा।

(आपूर्ति शाखा)

निविदा संख्या–01/2018–19

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1876, दिनांक 16.05.2016 के आलोक में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सिमडेगा जिलान्तर्गत नगर परिषद् क्षेत्र के लिए 02 (दो) एवं कोलेबिरा, बानो, कुरडेग, केरसई, जलडेगा, बांसजोर, ठेठईटांगर, बोलबा एवं पाकरटांड प्रखण्ड मुख्यालयों में स्थित 09 (नौ) कुल –11 (ग्यारह) दाल–भात केन्द्रो पर केन्द्र संचालकों को पणन सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समिति, सिमडेगा के पत्रांक 54, दिनांक 26.02.2018 के आलोक में परिवहन–सह–हथालन ब्यय सहित अधिकतम मूल्य चावल उसना (मध्यम) 2550.00 रू0 प्रति क्विंटल, चना 6300.00 रू0 प्रति क्विंटल एवं सोयाबीन बड़ी 5700.00 रू0 प्रति क्विंटल की दर से आपूर्ति करने के इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से दिनांक 21.03.2018 क अपराह्न 3:00 बजे तक विहित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है।

तकनीकी बीड के लिए आवश्यक शर्ते/कागजात

1. स्थानीय अंचल अधिकारी या उच्च अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र एवं स्थानीय थाना प्रभारी या उच्चाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
2. निविदादाता का अद्यतन आयकर विवरणी।
3. कृषि ऊपज पर बाजार शुल्क का भुगतान से संबंधित कागजात (यदि लागू है)
4. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सभी केन्द्रों तक एक माह के लिए माह प्रारंभ होने के दो दिन पूर्व सभी केन्द्रों पर निर्धारित मात्रा में चावल, चना एवं सोयाबीन बड़ी पहुँचाना आव"यक होगा, से संबंधित शपथ–पत्र।
5. निविदादाता जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा के नाम से सिमडेगा में भुगतेय 20,000.00 (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्रॉफ्ट अग्रधन रा"ि के रूप में निविदा के साथ जमा करायेंगे। निविदा में सफल व्यक्ति का बैंक ड्रॉफ्ट जमानत रा"ि के रूप में कार्य अवधि तक रखा जायेगा। सामग्री की आपूर्ति प्रारंभ होने से कार्य अवधि तक किसी प्रकार की अनियमितता का दोषो पाये जाने पर इसे जब्त किया जा सकेगा। सफल निविदादाता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं का अग्रधन रा"ि संबंधी बैंक ड्रॉफ्ट निविदा निष्पादन के उपरान्त लौटा दिया जायेगा।
6. निविदादाता का व्यवसाय स्थल सिमडेगा जिला अन्तर्गत होना चाहिए।
7. चावल, चना, सोयाबीन बड़ी की आपूर्ति, सिमडेगा जिलान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के केन्द्र तक परिवहन–सह–हथालन ब्यय सहित किया जाना है। इसके लिए आपूर्तिकर्त्ता को अलग से किसी प्रकार का परिवहन–सह–हथालन ब्यय देय नहीं होगा।
8. चावल, चना, सोयाबीन बड़ी उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। गुणवत्ता के संबंध में निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं निम्न गुणवत्ता वाले निविदादाता को वित्तीय बीड में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा। सभी सामग्रियों का नमूना सील्ड पारद"र्ी फ्लास्क/बोतल में लाना होगा, जिस पर निविदादाता का नाम एवं पता चिपका होना चाहिए। आपूर्तिकर्त्ता के रूप में चयनित होने के उपरांत इससे भिन्न सामग्री की आपूर्ति केन्द्रों द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. निविदादाता द्वारा प्रत्येक माह चावल, चना एवं सोयाबीन बड़ी की आपूर्ति किये गये साामग्रियों का नमूना प्रत्येक केन्द्र पर जमा करना होगा, जिसे गुणवत्ता जाँच हेतु केन्द्र संचालकों द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।
10. निविदादाता का चयन निविदा में चावल, चना एवं सोयाबीन बड़ी हेतु डाले गये न्यूनतम दर पर किया जायेगा।
11. निविदादाता जन वितरण प्रणाली विक्रेता/किरासन तेल भेण्डर/किरासन तेल खुदरा बिक्रेता/डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन अभिकर्त्ता न हो।

वित्तीय बीड

स्वअभिप्रमाणित फोटोग्राफ

1. आवेदित प्रखण्ड/क्षेत्र का नाम –
2. निविदादाता का नाम –
3. पिता/पति का नाम –
4. आवासीय पता –
   (क) स्थायी पता –
   (ख) वर्त्तमान पता –
5. व्यापार स्थल का पूर्ण पता –
   (दूरभाष एवं मोबाईल संख्या के साथ)
6. निविदा दर प्रति क्विंटल –
   1 चावल –
   2 चना –
   3 सोयाबीन बड़ी –

हस्ताक्षर

सामान्य मार्गदर्शन/निर्देश

1. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफों में रख कर एक बडे लिफाफे में पुरा पता अंकित करते हुए दिनांक 21.03.2018 के अपराह्न 3:00 बजे तक जिला आपूर्ति कार्यालय, सिमडेगा के कार्यालय में रखे गए निविदा पेटी में समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित समय के उपरांत कोई भी निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।
2. उपायुक्त, सिमडेगा की अध्यक्षता में प्राप्त निविदाओं का निस्तारण उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे उपायुक्त, सिमडेगा के कार्यालय कक्ष में किया जायेगा, जिसके दौरान निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
3. संचालनकर्ता चयनित होने पर एक सप्ताह के अन्दर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा के साथ एकरारनामा संपादित करना होगा।
4. उपायुक्त, सिमडेगा को बगैर कारण बताये निविदा रद्द करने/स्थगित करने/समय में परिवर्तन करने/एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्य वितरण करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
5. अन्य किसी प्रकार की संबंधित जानकारी जिला आपूर्ति कार्यालय, सिमडेगा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. निविदा प्रपत्र तथा निविदा से संबंधित अन्य जानकारियाँ जिला आपूर्ति कार्यालय, सिमडेगा से 500/–रु० का बैंक ड्राफ्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा के पदनाम से जमा कर प्राप्त किया जा सकता है जो राशि वापस नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त,
सिमडेगा।

ज्ञापांक ..../आ०, दिनांक...............................

प्रतिलिपिः जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सिमडेगा को इस निदे"ा के साथ की इसे तीन प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रका"ित करना सुनि"िचत करेंगे।

उपायुक्त,
सिमडेगा।